नितिन बंसल

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

SUMIT CHATURVEDI
ACC ID-UP14104004
MATHURA

18473/23

Certificate No.	:	IN-UP82487587444616V
Certificate Issued Date	:	12-Apr-2023 10:38 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1410400459248520735347V
Purchased by	:	MESSERS MAHARAJA REALTECH
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	MAUJA SALEMPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SMT AYODHYA SINGH AND OTHERS
Second Party	:	MESSERS MAHARAJA REALTECH
Stamp Duty Paid By	:	MESSERS MAHARAJA REALTECH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	66,150 (Sixty Six Thousand One Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

नि. अयोध्यासिंह

JD 0031308834

The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

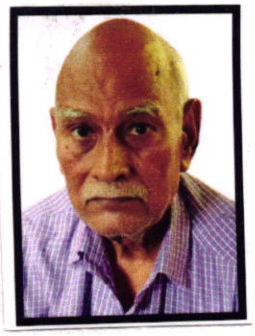

!! ओउम श्री सिद्धिदात्री नमः !!

लेखपत्र / विक्रयपत्र का संक्षिप्त विवरण :–

1. सम्पत्ति का प्रकार : प्लॉट जमीन
2. स्थित : मौजा **सलेमपुर मथुरा** तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का विवरण : एक किता प्लॉट जमीन
4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : **207.80** वर्ग मीटर
5. सड़क की स्थिति : प्रलेख में वर्णित है।
6. प्रतिफल की धनराशि : 9,45,000 / –रूपया
7. मालियत : 9,45,000 / –रु.
8. देय स्टाम्प : 66150 / –रु. ई–स्टाम्प जो प्रलेख के साथ संलग्न है।
9. उक्त क्षेत्र की जमीनों का सरकारी रेट –4500 / –रुपया प्रति वर्ग मीटर, जो रेट लिस्ट के पेज नं. क्रमांक बी कोड पर दर्ज है।
10. कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक मथुरा।
11. विक्रेता–क्रेता दोनों भारतीय नागरिक हैं।

विक्रेता / प्रथम पक्ष का विवरण–1

श्रीनिवास पुत्र श्री रामनारायन सिंह निवासी ई–6ए, माधवपुरी कॉलोनी, महोली रोड़ मथुरा बहैसियत मुख्त्यारआम **श्रीमती अयोध्या सिंह** पत्नी श्री एस. एन. सिंह निवासी माधवपुरी, महोली रोड़ मथुरा, बजरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम दिनांक 22.05.2023ई0 जिसका निबंधन कार्यालय उ0 नि0 मथुरा पर बही सं. 4 जिल्द सं. 219 के सफा 233–242 क्रमांक 209 पर दिनांक 25.05.2023ई0 को हुआ है, जो मुख्त्यारनामा आज तक पूर्ण रुप से वैध है और निरस्त नहीं हुआ है और मुख्त्यारकर्ता जीवित है।

पेन : डी एल डी पी एस 7398 एन

क्रेता / द्वितीय पक्ष का विवरण–1

मैसर्स महाराजा रीयलटैक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि / साझीदार हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा, सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाउस, 106,107 व 108, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा।

पैन : ए बी ई एफ एम 9647 ए – मैसर्स महाराजा रीयलटैक

मो–9720625230

जोकि एक किता प्लॉट जमीन पैमायशी पूरब –15 फीट, पश्चिम –15 फीट, उत्तर –149 फीट 1–1/2 इंच, दक्षिण –149 फीट 1–1/2 इंच, कुल क्षेत्रफल 248.53 वर्गगज बराबर **207.80** वर्ग मीटर, जिसकी सीमाऐं निम्न हैं –

पूरब –बम्बा

पश्चिम –जमीन नाहर सिंह आदि

उत्तर –जमीन अन्य

दक्षिण –जमीन भगवान सिंह

स्थित मौजा **सलेमपुर मथुरा** तहसील व जिला मथुरा, जो खसरा नंबर **52** की भूमि में स्थित है, जिसको संलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है, मिल्कियत प्रथम पक्ष की है, जिसको उक्त विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत बैनामा इकरारी शिवचरन पुत्र श्री सोहनलाल से दिनांक 30.01.2012ई0 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबंधक मथुरा में बही नं. 1 जिल्द सं. 8090 के पृष्ठ 205–226 क्रमांक 1487 पर दिनांक 30.01.2012ई0 पर हुई है, क्रय किया, जिस पर प्रथम पक्ष का ही कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम सरकारी कागजात आदि में दर्ज है तथा प्रथम पक्ष ही उक्त प्लॉट जमीन पर बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चली आती है। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त प्लॉट जमीन का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है तथा उक्त प्लॉट जमीन प्रत्येक प्रकार के झगडे झंझट, कर्जे, जमानत आदि से पूर्णतः पाक साफ है तथा उक्त प्लॉट की बाबत कोई भी वाद विवाद किसी भी न्यायालय आदि में विचाराधीन नहीं है और न किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में रहन व गिरवी आदि है और न किसी डिक्री आदि में नीलाम या कुर्क है और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त प्लॉट जमीन की बाबत कोई इकरारनामा किसी के साथ तय किया है तथा प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट जमीन की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट जमीन के विक्रय व हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट पैदा कर सके। प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है, जिस कारण उक्त प्लॉट जमीन बेचना जरूरी है और इस समय द्वितीय पक्ष अच्छी कीमत देकर उक्त प्लॉट जमीन को क्रय करने को तैयार है। इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

अतः उक्त प्लॉट जमीन को समस्त हकूक व अधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के समस्त हकूक व अधिकारों सहित बखुशी वराजी अपने बऐवज 9,45,000/—रु. (नौ लाख पैंतालीस हजार रूपया) में बदस्त **मैसर्स महाराजा रीयलटैक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/साझीदार हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा, सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाउस, 106,107 व 108, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा**, खरीदार द्वितीय पक्ष फर्म के हक में बेच दिया और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त कर व कुल रुपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर, कब्जा व दखल बेचे गये प्लॉट जमीन पर द्वितीय पक्ष का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। खरीदार द्वितीय पक्ष फर्म बेचे गये प्लॉट जमीन पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गयी। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहें प्रयोग करे और जो चाहे सो करे। अब बेचे गये उक्त प्लॉट जमीन में प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति बेचे गये प्लॉट जमीन की बाबत दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा प्लॉट जमीन द्वितीय पक्ष से निकल जावे या कहीं रहन आदि निकले और उसकी बाबत द्वितीय पक्ष को कुछ खर्च करना पडे या देना पडे तो प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष अपना कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा खर्च किये गये रूपयों को प्रथम पक्ष व उनकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाप्ता बजरिये अदालत वसूल कर ले, इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। बेचा गया प्लॉट विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। प्लॉट पर भविष्य में लगने वाले शुल्कों को अदा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने अपनी राजी खुशी से खूब सोच समझकर स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाब के बहक द्वितीय पक्ष लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

तस्दीकी मुख्तारनामा आम दिनांक 29.07.2020 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 7 के सफा 95–104 पर क्रमांक 12 पर हुई है, के द्वारा **विवेक बंसल पुत्र श्री नितिन कुमार बंसल निवासी एल.आई.जी. 9, महाविद्या कालौनी प्रथम चरण मथुरा,** को उक्त **हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा हाल निवासी 106,107,108, महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा,** की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख निबन्धन हेतु प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे–पूरे अधिकार प्राप्त हैं और मुझ **श्रीनिवास** को उक्त विक्रेता की ओर से प्राप्त मुख्त्यारनामा द्वारा उक्त प्लॉट बेचने, बैनामा पंजीकृत कराने आदि के पूरे–पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का–

मूल्य का कुल 9,45,000/–रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि–

9900/–रु नगद वक्त बैनामा के प्राप्त किए।

9,35,100/–रु आर टी जी एस नं. सी एन आर बी आर 52023041153336866 दिनांक 11.04.2023 केनरा बैंक मथुरा द्वारा।

दोनों लेन–देन केनरा बैंक द्वारा प्राप्त किए।

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

तहरीर दिनांक : 06.09.2023
टाईप किया : पं0 के0 के0 शर्मा, मथुरा।
ड्राफ्ट किया : नितिन कुमार बंसल दस्तावेज लेखक रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।
साक्षी–
1. नितिन पुत्र स्व0 रामगोपाल
निवासी प्रकाश नगर मथुरा।

2. राकेश पुत्र स्व0 रामबाबू
निवासी चूना कंकड़ गली मथुरा।

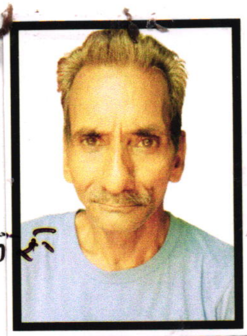

आवेदन सं०: 202300764050679

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 18525 के पृष्ठ 93 से 106 तक क्रमांक 18473 पर दिनाँक 08/09/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ए० के० त्रिपाठी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
08/09/2023

प्रिंट करें

स्काकीता प्लाट जमीन स्थित मौजा-
सलेमपुर मथुरा तहसील व जिला मथुरा जो
खसरा नं. 52 में स्थित है।
विक्रेता- श्रीनिवास पुत्र श्री राम नारायन सिंह